

प्रेषक,
निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में
प्रिन्सिपल/प्रबन्धक,
मॉडर्न औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र,
विनीर बहराइच रोड
गोण्डा।

पत्रांक: 577 / टी-3 / रा040 / मा0सं0संस्तुति लखनऊ : दिनांक : 24-1-11 2010
विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30-5-2010 पर दिनांक 15-07-2010 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अनुमति
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 04(2+2)	04(2+2)	02(1+1)*	SCIR-30/5/10 w.e.f. Aug.2010 * 02(1+1) Add. Rejected as only two lathe machine & one electric furnace available in the institute.
2-	Electrician 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	

DGET-6/24/130/2010 -TC DATED 15/07/2010

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतलाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समतुल्यता के पनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अंकित भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, तिस्रता पूर्ण, उत्तरदायित्व आपका होगा।

अपर निदेशक (विशेष) गोण्डा

पत्रांक : / टी-3 / रा040 / मा0सं0संस्तुति / तददिनांकित

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष किरतु पर विशेष ध्यान दे।

प्रश्नक

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
मॉडर्न प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
बिमीर बहराडच रोड
गोण्डा।

पत्रांक: 6408/टी-3/रा0प0/भा0स0संस्तुति

लखनऊ : दिनांक : 03/11/

2011

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 06-06-2011 पर दिनांक 18-08-2011 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. 02(1+1)	Addl. 02(1+1)	Addl.2(1+1) Total 04(2+2)	SCIR-06/06/11 . w.e.f. Aug.2011
2-	Mech.Diesel 02(1+1)	02(1+1)	2(1+1)	
3-	MRAC 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/130/2010 -TC DATED 18/08/2011

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचाराधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत कर अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रद नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अति भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

पत्रांक /टी-3/रा0प0/भा0स0संस्तुति/

तददिनांकित

पतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष)लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।

2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

नई दिल्ली

125

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
मार्डन प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
बम्बौर महाराष्ट्र रोड
गोण्डा।

पत्रांक: 1753/टी-3/सोप0/भा0स0संस्तुति लखनऊ दिनांक 15-4-12 2012

विषय- स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय राजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केंद्र की स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07-04-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपको संस्थान से सम्बन्धित, उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-


क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिम्मे लिये संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संस्थान का अनुबंध किया गया।	संस्तुति की गयी		अनुबंधित
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. 02 Units		Addl.02 unit Total 06(2+2+2)	DIR-07/04/12 SIR-12/07/12 w.e.f. Aug.2012
2-	Electrician Addl. 04 Units		Addl.02 unit Total 06(2+2+2)	
3-	Mechanic Addl. Diesel 00 Units		Addl.01 unit Total 03(1+1+1)	
DGET-6/24/130/2010-TC DATED 27/07/2012				

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एन0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-किमालीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) एन0सी0-विचारसमिति
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बहाई गई कमियों/चुटियों का निराकरण सम्बन्धित करके अपनी आख्या किन्दुसार साध्य सजित हो प्रतिदों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अंतिम कार्यवाही की जा सकें।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान को अतिरिक्त व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को अगामी अंकित भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपको होगा।

भवदीय,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/सिद्द)

पत्रांक: /टी-3/सोप0/भा0स0संस्तुति/ लखनऊ दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं व्यवसाय कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/सिद्द) को इस आशय से प्रेषित कि यह उपरोक्त विशेष किन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को जो अपने स्तर से अवगत करावे।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत जानकारी हेतु।
3. मार्डन फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगढ़, लखनऊ।

(संयुक्त वेद)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/सिद्द)